UPMP010022842026

न्यायालय जिला एवम सत्र न्यायाधीश,मैनपुरी

जमानत प्रार्थना पत्र सं० 777/2026

पवन कुमार उम्र करीब 37 वर्ष पुत्र श्री रामनाथ निवासी गाम महानन्दपुर पोस्ट अरमसराय थाना भोगांव व जिला मैनपुरी ।

---प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ---विपक्षी/वादी

1– प्रार्थी/अभियुक्त पवन कुमार की ओर से यह प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 347/2024 अन्तर्गत धारा–64,69,308(5),316(2),333,351(3)352 बी.एन.एस. थाना–भोगांव जिला मैनपुरी में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त जमानत प्रार्थना–पत्र है। उपरोक्त के सिवाय माननीय उच्च न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय में न तो कोई जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया और न ही विचाराधीन है।

3– संक्षेप में लिखित तहरीर के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि ,'' प्रार्थिनी/वादिनी मुकदमा संध्या से लगभग 04 साल पहले पवन कुमार मिला और उसने अपनी बातों में ले लिया और कहा कि मैं शादी शुदा नहीं हूँ और कहा कि में तुम्हे प्रोपर्टी के काम में लाकर तुम्हारे नाम जमीन कराऊँगा तथा तुमसे शादी करूँगा। आधी मिथ्या वचन करके मेरे घर पर आकर मेरे साथ मैथुन किया तथा बातों में फंसाकर शारीरिक सम्बन्ध बनाये और उसके बाद बच्चों को जान से मारने की धमकी देने लगा और कहा कि अपने प्लाट का बैनामा कर दो, तो वादिनी ने डरकर अपने प्लाट का बैनामा कर दिया। पवन ने धमकी देकर प्लाट का बैनामा करा लिया और उसे पैसा भी नहीं दिया। पवन जब घर आता तो कहता कि पैसे की जरूरत है तो उसे 16 ग्राम की चैन, दो चैन 14.14 ग्राम, 3 अंगूठी लगभग 10 ग्राम तथा 61 ग्राम की सीतारानी सुनार के यहाँ रख आया और सुनार से पैसा ले आया तथा आज तक उसे वापस नहीं किया। जब मैं अपना प्लाट व सोना मांगने घर पर गयी तो तमंचा निकाल लाया और कहा कि साली भाग जा नहीं तो तुझको मार दूंगा। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।''

3– प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये तर्क दिया गया है कि,''वादिनी संध्या के पति अजय कुमार के द्वारा उपेन्द्र व अनुज के साथ 4 लाख रूपये उधार ली गई रकम वापस न करने की गरज से दिनांक 13–06–2024 को प्रार्थी को गोली मार दी थी जिसका मुकदमा नम्बर 376/2026 न्यायालय एम.एम/जे.एम–6 मैनपुरी पवन बनाम अजय आदि विचाराधीन है जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 22–06–2026 नियत है। उक्त घटना दिनांक 13–06–2024 की कार्यवाही से बचने की गरज से तथाकथित मुकदमे में अजय पुत्र रामस्वरूप ने अपनी पत्नी संध्या से फर्जी मुकदमा प्रार्थी पर दर्ज कराया है। प्रार्थी/अभियुक्त गॉव का रहने वाला है एवम उसका उक्त अपराध से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं हे। जबकि तथाकथित अभियोजन कहानी की प्रथम सूचना रिपोर्ट 4 वर्ष बाद

सोच समझकर षडयन्त्र के तहत दर्ज कराई गई है। विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नही दर्शाया गया है। अभियोजन कहानी में घटना 4 वर्ष पूर्व की बतायी गई है एवम उपरोक्त 4 वर्ष के दौरान किसी प्रकार की कोई शिकायत किसी भी पुलिस उच्चाधिकारी से न किया जाना अभियेाजन कहानी को संदिग्ध बनाता है। तथाकथित अभियोजन कहानी में प्रार्थी नामजद अभियुक्त करने के साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार तथाकथित अपराध किया जाना मात्र एक नामजद पवन कुमार के द्वारा कथित किया गया है,जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कुछ दिनों बाद ही तथाकथित वादी मुकदमा/पीड़िता के द्वारा दर्ज कराये गये ब्यान अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस के अनुसार अपराध दो व्यक्तियों पवन कुमार एवम विनीत कुमार उर्फ विनय के द्वारा कथित किया गया है। सम्पूर्ण अभियेाजन कहानी संदिग्ध है। वादिनी के द्वारा अपने बयानो में अभियुक्त बनाये गये विनय कुमार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 15329/ 2024 प्रस्तुत की थी जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04–08–2025 के अनुसार अभियेाजन कहानी को संदिग्ध पाते हुए पवन कुमार की गिरफ्तारी के विरूद्ध स्टे आदेश पारित किया है। प्रार्थी पवन कुमार पुत्र रामनाथ के हक में आज तक कोई बैनामा वादिनी के द्वारा निष्पादित ही नही किया गया है और न ही वादिनी के द्वारा किये गये किसी बैनामे में प्रार्थी गवाह है,जबकि बैनामा प्रार्थी पवन कुमार के द्वारा धमकी देकर प्लाट का करा लेने का कथन वादिनी के द्वारा प्रथम सूचना रिपेार्ट में लिखा है। तथाकथित मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादिनी के द्वारा 4 वर्ष पूर्व की घटना बताया है परन्तु न तो 4 वष पूर्व की कोई दिनांक और न ही समय प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखा है। तथाकथित अभियोजन कहानी में यह वर्णित नही है कि किस दिनांक को नामजद अभियुक्त के द्वारा वादिनी के साथ मैथून किया गया कितनी बार एवम कब किया गया,जबकि वादिनी पूर्व से ही विवाहित है तथा दो बच्चों की माँ है जैसा कि तथाकथित अभियोजन कहानी में वर्णित है। तथाकथित अभियोजन कहानी 4 वर्ष तक लगातार अपराध होने का कथन किया है जबकि किसी भी तारीख का कोई वर्णन प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। प्रार्थी के साथ तथाकथित मुकदमे की पीड़िता/वादिनी ब्लैकमेलिंग करती रही है एवम उक्त ब्लेकमेलिंग से वादिनी के द्वारा मुझ प्रार्थी से सोने के जेवर,अपने पुत्र अनुभव की स्कूल की फीस,अपने घर में इन्वर्टर बैट्री आदि लगवाया जिसके मूल बिल की छाया प्रति संलग्न है। प्रार्थी ने पीड़िता के साथ ब्लैकमेलिंग की शिकायत भी पुलिस अधीक्षक मैनपुरी से की थी तथा प्रार्थी द्वारा की गई शिकायत की जानकारी पर ही उक्त फर्जी एवम झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नही करेगा, शर्तों का पालन करेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा द्वारा दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

5– अभियोजन द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए तर्क किया गया कि अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ शादी का वादा करके उसके साथ लगातार लम्बे समय तक शारीरिक सम्बन्ध बनाए गए तथा बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर उसके प्लाट का बैनामा अपनी माँ के नाम करवाया। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

6– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व वादी तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली अवलोकन किया।

7– प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसमें वादिनी ने कथन किया है कि अभियुक्त ने उसे अपनी बातों में लेकर यह कहा कि वह शादी शुदा नहीं है और उसके साथ शादी करेगा और इसी का झांसा देकर कई बार उससे शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किए तथा यह सिलसिला विगत कई वर्षों से चल

रहा है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थिनी स्वयं स्वीकार कर रही है कि वह शादी शुदा है एवम उसके दो बच्चे हैं। अतः स्पष्ट है कि वादिनी को स्वयं पता था कि वह अभियुक्त से शादी करने की स्थिति में नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में वादिनी का यह कथन विश्वसनीय नहीं है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किए जा रहे हैं तथा यह सिलसिला विगत 4 वर्षों से चल रहा है। अतः ऐसी स्थिति में वादिनी की सहमति का पुट अधिक दर्शित हो रहा है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त की ओर से परिवाद संख्या 376/2025 की पत्रावली का हवाला दर्शित किया गया कि अभियुक्त द्वारा वादिनी के पति अजय कुमार के विरूद्ध अजय कुमार के विरूद्ध सन 2024 में धारा 173(4)BNSS के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र न्यायालय में दिया गया था। अतः उक्त समस्त परिस्थितियों को देखते हुए जबकि अभियुक्त दिनांक 19–05–2026 से अभिरक्षा में है। अतः मामले के गुण–दोष पर कोई विचार व्यक्त किए बिना अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त पवन कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 347/2024 अन्तर्गत धारा–64, 69,308(5),316(2),333,351(3)352 बी.एन.एस. थाना–भोगांव जिला मैनपुरी में योजित जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा मुव. 1,00,000/– रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इसी धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के, दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनाँकः02–06–2026

(**विजय कुमार डुँगराकोटी**)
कृते जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मैनपुरी
जे.ओ कोड यू पी 6156

अनिल कुमार अग्रवाल,
पी.ए

VIJAY KUMAR DUNGRAKOTI

Digitally signed by VIJAY KUMAR DUNGRAKOTI
Location: Mainpuri
Date: 2026.06.02 10:35:18 +0530